

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 573/2010/जयपुर.
2. अपील संख्या - 574/2010/जयपुर.
3. अपील संख्या - 575/2010/जयपुर.

मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स (1972) लिमि0, जयपुर.अपीलार्थी
बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग
टैक्स, सम्भाग-द्वितीय, जयपुर.प्रत्यर्थी.

4. अपील संख्या - 1147/2010/जयपुर.
5. अपील संख्या - 1148/2010/जयपुर.
6. अपील संख्या - 1149/2010/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग
टैक्स, सम्भाग-द्वितीय, जयपुर.अपीलार्थी
बनाम

मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स (1972) लिमि0, जयपुर.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. सी. अग्रवाल, अभिभाषकव्यवहारी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषकराजस्व की ओर से.


निर्णय दिनांक : 03/08/2016

निर्णय

1. उपरोक्त तीन अपीलें क्रमशः 573, 574 व 575/2010 अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स (1972) लिमिटेड, जयपुर द्वारा एवं तीन अपीलें क्रमशः 1147, 1148 व 1149/2010 अपीलार्थी राजस्व की ओर से उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 25.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2. उपरोक्त सभी अपीलों में पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से इन प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. इन प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई से अवार्डेड संकर्म संविदा कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप कर से मुक्ति के रूप में करमुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स



लगातार.....2



कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के समक्ष आवेदन-पत्र दिनांक 13.04.1999 को प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत करते हुए व्यवहारी द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति के मद्देनजर संविदा राशि की 4 प्रतिशत की दर से करमुक्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 2/223 दिनांक 28.02.2000 को जारी किया गया। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(3) के तहत पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में प्राप्त भुगतान राशि पर 4 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क, मुक्ति शुल्क राशि पर 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज एवं देय राशि के विलम्ब हेतु ब्याज राशि का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2010 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित मुक्ति शुल्क की पुष्टि की गयी, सरचार्ज की देयता नहीं मानते हुए सरचार्ज को अपास्त किया गया तथा ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को पुनः गणना करने के उपरान्त आरोपण हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करमुक्ति शुल्क के बिन्दु पर एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के सम्पूर्ण आदेशों को, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित करमुक्ति शुल्क की पुष्टि की गयी है, को भी सम्मिलित करते हुए अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

व्यवहारी की अपील संख्या	विभाग की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	अपीलीय आदेश क्रमांक	कर निर्धारण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5
573/10	1147/10	1998-99	228/अपील्स-चतुर्थ/2009-10/सी	19.03.2001
574/10	1149/10	1999-00	230/अपील्स-चतुर्थ/2009-10/सी	04.02.2002
575/10	1148/10	2000-01	229/अपील्स-चतुर्थ/2009-10/सी	27.05.2002

संविदा कार्यों के पेटे प्राप्त राशि	आरोपित			
	करमुक्ति शुल्क	सरचार्ज	ब्याज	योग
6	7	8	9	10
75,34,080	3,01,363	36,164	76,335	4,13,862
3,12,14,640	12,48,586	1,87,288	5,61,238	19,97,112
86,51,280	3,46,051	51,908	1,12,644	5,10,603


हस्ताक्षर

हस्ताक्षर लगातार.....3

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन में राज्य के बाहर से माल आयात किया जाकर उपयोग में लिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2001 (25 टैक्स वर्ल्ड 241) द्वारा व्यवहारी के अन्तर्राज्यीय खरीद के तहत राज्य के बाहर से आयात कर संविदा संकर्म में राज्य में उपयोग में लिये गये माल को अधिनियम की धारा 2(38) के स्पष्टीकरण II(ए) में डीमड सेल मानने सम्बन्धी प्रावधानों को अवैध घोषित किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उक्त निर्णय की पुष्टि की जा चुकी है। इसी आधार पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 21 टैक्स अपडेट 39 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स यूनिक प्रिक्वोर्ड रिट्रेडर्स प्रा० लि०, भीलवाड़ा एवं अपील संख्या 2055/2008/ श्रीगंगानगर वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स मदनलाल बंसल एण्ड कम्पनी निर्णय दिनांक 18.08.2009 द्वारा संविदा संकर्म कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के बाहर से आयातित माल के प्रयुक्त होकर सम्पत्ति के रूप में अन्तरण को डीमड सेल नहीं मानते हुए करारोपण किया जाना अविधिक माना गया है। अग्रिम कथन किया कि जब व्यवहारी द्वारा उपयोग में लिये गये माल पर किसी प्रकार की करदेयता बनती ही नहीं है तो करमुक्ति के रूप में आरोपित शुल्क की भी देयता नहीं बनती है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :-

- (i) (2013) 60 वी.एस.टी. 01 (एस.सी.) टाटा स्काई लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य
- (ii) (2012) 18 वेट रिपोर्टर 177 (एस.सी.) 20जी सेंचूरी फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
- (iii) (2001) 25 टैक्स वर्ल्ड 241 (राज.) मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राज्य व अन्य
- (iv) (1993) 90 एस.टी.सी. 47 (एस.सी.) बंगाल आयरन कॉर्पोरेशन व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य
- (v) (2010) 35 वी.एस.टी. 375 (गुजरात) स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात लिमिटेड व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य
- (vi) (2012) 55 वी.एस.टी. 01 (दिल्ली) ए.बी.बी. लिमिटेड बनाम कमिश्नर, देहली वेल्यू एडेड टैक्स





लगातार.....4


- (vii) 27 टैक्स वर्ल्ड 81 (रा.क.बो.) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी
- (viii) 6 वेट रिपोर्टर 110 (रा.क.बो.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं लीजिंग टैक्स, जोन-II, जयपुर बनाम ई.सी.ई. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,, जयपुर
- (ix) (2001) 122 एस.टी.सी. 01 (केरला) सिमन्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य
- (x) (2011) 39 वी.एस.टी. 257 (एस.सी.) हैदराबाद इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी ने अग्रिम कथन किया कि करमुक्ति शुल्क पर सरचार्ज की भी देयता नहीं बनती है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :-

- (xi) (2014) 10 RGSTR 83 (राज.) सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर बनाम मैसर्स शिवा कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 व अन्य
- (xi) (2008) 20 टैक्स अपडेट 216 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम नरेश चन्द द्विवेदी, अलवर
- (xiii) (2004) 10 टैक्स अपडेट 141 (रा.क.बो.) मैसर्स रामनारायण एण्ड संस, नसीराबाद, अजमेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर

6. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्वैच्छा से कार्य संविदा के पेटे प्राप्त राशियों पर देय कर से मुक्ति हेतु करमुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। किसी भी व्यवहारी द्वारा करमुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त कुल संविदा राशि पर करमुक्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार करमुक्ति शुल्क अदा किया जाना बाध्यकारी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्ति शुल्क का निर्धारण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा करमुक्ति शुल्क की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अग्रिम कथन किया कि करमुक्ति शुल्क पर सरचार्ज की देयता



लगातार.....5

होती है, फिर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा सरचार्ज को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने तथा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।


8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

9. हस्तगत प्रकरणों में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संकर्म संविदा के तहत निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के पेटे कर से मुक्ति हेतु करमुक्ति शुल्क का विकल्प लेने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.04.99 को प्रस्तुत किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए व्यवहारी को करमुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र क्रमांक 2/223 दिनांक 28.02.2000 जारी किया जाकर, व्यवहारी की आलौच्य अवधियों की प्राप्तियों पर करमुक्ति शुल्क के रूप में राशि का निर्धारण किया या है। संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म संविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म संविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहण करने से अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। व्यवहारी के द्वारा कर दायित्व का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में किये जाने का विकल्प लिये जाने पर मुक्ति शुल्क की राशि इस हेतु घोषित ठेके की राशि पर अधिसूचना में विहित दर से मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय है।

10. उक्त अधिसूचना के अनुसार व्यवहारी द्वारा कुल ठेका राशि पर विहित दर से मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुक्ति शुल्क का विकल्प लिये जाने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र डब्ल्यू.टी.-1 के अंत में निम्नानुसार Undertaking दी जाती है :-

I/We hereby undertake that I/we shall abide by all the terms and conditions laid down by the State Government or any provisions of the Act or Rules made there under and if I /We fails to do so, I/We shall be liable to pay tax as per the provision of the Act.I/We also undertake to pay the revised exemption fee in case Exemption Certificate is revised.

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.



Signature of the applicant and his status

लगातार.....6




11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2010) 29 वी. एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स में व्यवस्था दी है कि -


"Held, that since the work contract in its entirety was covered by the exemption certificate issued by the competent authority to the dealer, the assessing authority could not have obviously imposed tax under section 5A of the Act treating it as purchases from unregistered dealers made within the State of Rajasthan. **The assessing authority could have only imposed exemption fee leviable on the works contract in question in accordance with the exemption certificate granted to the dealer.**"

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2012) 17 वेट रिपोर्टर 153 (राज.) दी इन्ड्योर प्रा0 लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में निम्न निर्णय पारित किया गया है -


23. The basic issue involved in the present cases is as to whether the exemption Notification dated 11/8/2006 which provides for exemption of payment of tax on works contract subject to assessee obtaining the exemption certificate upon payment of exemption fees of fixed percentage of the total value of the contract at 1.50% in case works contract falls under entry no.2, or at 2.25% if the works contract falls under entry no.3 of the list appended in the Notification dated 11/8/2006 reproduced above. While the exemption fees in lieu of tax on works contract is admittedly based on the total value of the contract, which total value may comprise of the taxable portion (supply of goods) of works contract as well as non-taxable (labour & service) of such works contract, still the exemption fee is levied on the gross total value of the contract, therefore, the question of imposition of tax on taxable portion of works contract does not arise in the present case of question of relating to exemption fees on gross value of the contract and, therefore, the judgments relied upon by the learned counsel for the petitioner seeking to contend that Assessing Authority is not entitled to levy higher amount of exemption fee on the basis of law propounded in these judgments is an argument, with respects, is an argument off the mark and, therefore, the same is liable to be rejected.

13. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (1997) 104 एस.टी.सी. 134 में व्यवस्था दी है कि:-



 लगातार.....7

“.....The first feature to be noticed is that the alternate method of taxation provided by sub-section (7) of (7A) of section 7 is optional. The sub-sections expressly provide that the method of taxation provided thereunder is applicable only to a contractor who elects to be governed by the said alternate method of taxation. There is no compulsion upon any contractor to opt for the method of taxation provided by sub-section (7) or sub section (7A). It is wholly within the choice and pleasure of the contractor. If he thinks it is beneficial for him to so opt, he will opt; otherwise, he will be governed by the normal method of taxation provided by section (5)(1)(iv). Sub-section (8) provides that the option to come under sub-section (7) or (7A) has to be exercised by the contractor 'either by an express provision in the agreement for the contract or by an application to the assessing authority, to permit him to pay the tax in accordance with any of the said sub-sections'. **In these circumstances, it is evident that a contractor who had not opted to this alternate method of taxation cannot complain against the said sub sections, for he is in no way affected by them. Nor can the contractor who has opted to the said alternate method of taxation, complain. Having voluntarily, and with the full knowledge of the features of the alternate method of taxation, opted to be governed by it, a contractor cannot be heard to question the validity of the relevant sub-sections or the rules... The impugned sub-sections have evolved a convenient, hassle-free and simple method of assessment just as the system of levy of entertainment tax on the gross collection capacity of the cinema theatres. By opting to this alternate method, the contractor saves himself the botheration of book-keeping, assessment, appeals and all that it means. It is not necessary to enquire and determine the extent or value of goods which have been transferred in the course of execution of a works contract, the rate applicable to them and so on. For example, under sub-section (7), the contractor pays two per cent of the total value of the contract by way of tax and he is done with all the abovementioned botheration. The rate of two per cent prescribed by sub-section (7) is far lower than the rates in First, econd and Fifth Schedules referred to in section 5(1)(iv)(a). In short, sub-section (7) and (7A) evolve a rough and ready method of assessment of tax and leave it to the contractor either to opt to it or be governed by the normal method. It is only an alternative method of ascertaining the tax payable, which may be availed of by a contractor if he thinks it advantageous to him... The Constitution does not preclude the Legislature from evolving such alternate, simplified**



लगातार.....8





and hassle-free method of assessment of tax payable, making it optional for the assessee. The object of sub-sections (7) and (7A) is the same as that of section 5(1)(iv); it is only that they follow a different route to arrive at the same destination of tax liability which may sometimes be in the interest of both the Revenue and the assessee. It must also be remembered that in the field of taxation, the Legislature must be allowed greater 'play in the joints', as it is called."

14. ठेका प्राप्तियां, जिन पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जाकर कर से मुक्ति का विकल्प लिया गया है, इस सम्बन्ध में व्यवहारी ने मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस आशय की undertaking दी गयी है कि वह अधिसूचना की शर्तों की पालना करने में विफल रहने पर अधिनियम के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करेंगे।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (1961) 12 एस.टी.सी.114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (2010) 29 वी.एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स व (2012) 17 वेट रिपोर्टर 153 दी इन्डयोर प्रा० लि० बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारी की आलौच्य अवधियों में संविदा प्राप्तियां मुक्ति प्रमाण-पत्र से आच्छादित हैं। अपीलार्थी व्यवहारी इन प्राप्तियों पर विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु दायी हैं।

16. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से सम्बन्धित प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा करमुक्ति शुल्क हेतु आवेदन नहीं किया गया था, बल्कि सामान्य रूप से कर निर्धारण का विकल्प चुना गया था। जबकि हस्तगत प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा स्वैच्छा से करमुक्ति शुल्क का विकल्प चुना गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित करमुक्ति शुल्क के बिन्दु पर तथ्यात्मक भिन्नता के कारण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अपीलार्थी व्यवहारी को कोई मदद नहीं करते हैं।

17. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्ति शुल्क पर 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज का भी आरोपण किया गया है, जो कि विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों (2014) 10 RGSTR 83 (राज.); (2008) 20 टैक्स अपडेट 216 एवं (2004) 10 टैक्स अपडेट 141 (रा.क.बो.) में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में आरोपणीय नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।




18. अपीलीय अधिकारी ने ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की स्रोत पर कटौती के वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात नियमानुसार समायोजन प्रदान करते हुए शेष देयता की विधिसम्मत रूप से जांच किये जाने के उपरान्त ब्याज का आरोपण किया जावे। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।


19. यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रकरणों में किसी प्रकार का 'कर' का बिन्दु विवादित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्ति शुल्क एवं करमुक्ति शुल्क पर सरचार्ज का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा करमुक्ति शुल्क की पुष्टि की गयी है तथा माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में सरचार्ज को अपास्त किया गया है। इसके बावजूद विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों के आधारों में अपीलीय अधिकारी द्वारा 'कर' को अपास्त किया जाना दर्शाते हुए, सम्पूर्ण अपीलीय आदेशों को विधिविरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए कर बोर्ड के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णय दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अपीलीय आदेशों का समुचित रूप से अवलोकन किये बगैर ही कर बोर्ड के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी है, जो कि स्पष्ट रूप से राजकोष पर अनुचित भार है, साथ ही कर बोर्ड में भी अनावश्यक अपीलें प्रस्तुत की जाकर कर बोर्ड का समय खराब किया गया है। अतः निर्णय की प्रति आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित है।

20. उपरोक्त विवेचन के मददेनजर अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 573, 574 व 575/2010 एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1147, 1148 व 1149/2010 अपास्त किये जाने योग्य पायी जाती है।

21. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत सभी छः अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

22. निर्णय सुनाया गया।


(मनोहर पुरी)
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य